प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी लाईसेंस के लिए
आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची

क्र.स.	विषय विवरण
1.	ऐजेन्सी के नाम में ऐसे पदों का प्रयोग किया गया है जो अधिनियम 2005 द्वारा मान्य नहीं है।
2.	फीस का संदाय दर्शित करने वाला **उपयुक्त राशी** का मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक नियंत्रण प्राधिकारी **(महानिरीक्षक पुलिस (सुरक्षा) राज0 जयपुर)** के नाम देय होगा। 1. एक जिले के लिए – 5,000/– रुपये 2. पांच जिले के लिए – 10,000/– रुपये 3. समस्त राजस्थान के लिए – 25,000/– रुपये
3.	नियम 3 (1) के अनुसार आवेदन पत्र आवेदक एवं सह आवेदक का अलग–अलग निर्धारित प्रपत्र में 3 प्रतियों में निर्धारित स्थानों पर **हस्ताक्षरित व सत्यापित** होना चाहिए।
4.	आवेदक एवं अन्य सह आवेदकों की फोटो **प्रथम श्रेणी** अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
5.	प्रपत्र 2 में आवेदक एवं सह आवेदकों के सत्यापन हेतु पूर्ण विवरण होना चाहिए।
6.	प्रपत्र 3 में आवेदक व सह आवेदकों के 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॅाप पर अलग–अलग शपथ पत्र **नोटेरी पब्लिक से सत्यापित तथा कोई शपथ छूटी अथवा परिवर्तित नही होनी चाहिए।**
7.	फर्म/कम्पनी/सोसायटी का **रजिस्ट्रेशन** प्रमाण पत्र होना चाहिए।
8.	कम्पनी मेमोरण्डम/सोसायटी बायलोज/फर्म पार्टनरशिप डीड होना चाहिए।
9.	साझेदारी फर्म के साझेदारों अथवा कम्पनी/सोसायटी के निदेशकों द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु **मुख्य आवेदक को प्राधिकृत करने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र** होना चाहिए।
10.	साझेदारों की सूची अथवा कम्पनी के **अशंधारक धटकों की सूचि** होनी चाहिए।
11.	यदि **फॉर्म 32** सलग्न है तो हटाये और जोडे गये सदस्यों का तारीखवार **संक्षिप्त विवरण** संलग्न करें।
12.	एजेन्सी की प्रोफाईल में किये जाने वालों **कार्यों का विवरण अधिनियम 2005 में बताये अनुरूप** संलग्न करें।
13.	कर्मचारियों के **ईपीएफ, ईएसआई एवं एसटी** के संबंध में प्रपत्र/शपथ पत्र संलग्न करें।
14.	राजस्थान में सुरक्षा एजेन्सी को प्रस्तावित कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन/भूमि के संबंध में स्वत्व अधिकार (स्वयं की भूमि/भवन के प्रपत्र अथवा 'लीज डीड (किरायानामा) संलग्न करें।
15.	राजस्थान दूकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1958 का पंजीयन पत्र संलग्न करें।
16.	आवेदक एवं सह आवेदकों के तीन–तीन पहचान प्रमाण पत्र जो सत्यापित होने चाहिए।
17.	आवेदक एवं सह आवेदकों के शिक्षा प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिया संलग्न होनी चाहिए।
18.	आवेदक का नियम 6 (1) के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।